BSES

बीएसईएस उपभोक्ताओं को मिलेगा 1 लाख रूपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा

नई दिल्लीः 4 अगस्त, 2017। बीएसईएस उपभोक्ताओं को अब 1 लाख रूपये के दुर्घटना बीमा यानी एक्डिेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। यह एक मुफ्त बीमा योजना है और इसका लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अलग से कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

इस बीमा योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को बस तीन महीने तक लगातार, ड्यू डेट से पहले पेटीएम के माध्यम से अपने बिजली बिल का भुगतान करना होगा। यह स्कीम एक साल के लिए है, जो अगस्त 2018 तक चलेगी।

जिन उपभोक्ताओं ने इस साल मई, जून और जुलाई के महीनों में ड्यू डेट से पहले पेटीएम के माध्यम से अपने बिजली बिल का भुगतान कर दिया है, वे भी इस स्कीम में शामिल होने की योग्यता रखते हैं।

तीसरे महीने के बिल भुगतान के बाद, पहली से पंद्रहवीं तारीख के बीच योग्य उपभोक्ता को इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इस बारे में एक एसएमएस आएगा। इस एसएमएस पर उपभोक्ता को यस यानी हां लिखकर उसे वापस भेजना होगा। इस एक्नॉलेजमेंट के बाद ही उपभोक्ता को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भेजी जाएगी। यह बीमा उपभोक्ता के सीए नंबर के आधार पर होगा और इसलिए, सीए नंबर को ही उपभोक्ता को आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान नंबर माना जाएगा।

जो उपभोक्ता 15 अगस्त के बाद इस स्कीम में शामिल होने के पात्र होंगे, उन्हें प्रो–रेटा आधार पर इसमें शामिल किया जाएगा। यह स्कीम पेटीएम द्वारा खासतौर पर बीएसईएस के 40 लाख उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च की गई है।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, बीएसईएस निरंतर अपने उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद स्कीमें ला रही हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को वास्तविक तौर पर सीधे लाभ मिलता है।

गौरतलब है कि बीएसईएस उपभोक्ता 4000 से अधिक लोकेशनों / माध्यमों से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। बीएसईएस उपभोक्ताओं के पास ड्रॉप बॉक्स, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑटो डेबिट, नेबरहुड ईजी बिल, मनी एन मोबाइल, ऑक्सीजन आउटलेअ्स, आईटीजेड कैश काड्र्स, बिल पेमेंट किऑस्क्स, चेक इन मेल सुविधा और की कंज्यूमर्स बैंकों के माध्ये से आरटीजीएस/ एनईएफटी आदि से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।